

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 229 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 जून 2017 — ज्येष्ठ 17, शक 1939

गृह विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 जून 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-06/दो-गृह/न. से./2016. — आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (2005 का सं. 53) की धारा 38 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2009 के पैरा 3. 4. 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ के समादेश और नियंत्रण के अधीन आपदा मोचन बल (SDRF) के गठन हेतु अनुमति प्रदान करती है.

No. F. 13-06/2-grih/N. S./2016. — In exercise of the powers conferred by Section 38 of the Disaster Management Act, 2005 (No. 53 of 2005) and para 3. 4. 5 of the National Policy on Disaster Management, 2009, the State Government, hereby, grants permission for organizing the State Disaster Response Force (SDRF) under the command and control of Director General, Home Guard and Civil Defence Chhattisgarh of prevent the disaster in the State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. मिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 380 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2016 — आश्विन 15, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2016

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2016/एक (1). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) निवम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

## संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

शीर्षक- “दो-गृह विभाग” के अंतर्गत भाग (अ) “विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय” के उप-भाग “अ-सामान्य” के सरल क्रमांक 29 में, शब्द “आग की रोकथाम.” के स्थान पर, “अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा राज्य आपदा प्रबंधन बल.” प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
निधि छिन्नर, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ 1-1/2016/एक (1). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2016/एक (1), दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
निधि छिन्नर, सचिव.